



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Order No:- 379BL/2018-19

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 सांस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2018-19/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 07.05.2018

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Shri B. Senguttuvan**, के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 410 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2018-19 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	K. NIRANJAN KISHORE			
		ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.		
2	K. ASWINI			
		ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.		
3	SATHVIK VINAY SAI GOWRISHANKAR			
		ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.		
4	RETHISH KUMAR			
		ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.		
5	A. ASHVANTH			
		ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.		
6	G. RITHIKA			
		ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.		
7	G. BHUVANESHWARAN			
		ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.		
8	EC NAGARJUNA			
		ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.		
9	EC NAREN KARTHIK			
		ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED.		
10	S.R. JASWINI	R. SANTHANAVATHANAN, NO.19, MOOLATHAMMAN KOIL STREET, THANKKOLAM & PO, VELLORE DISTRICT - 631151	IV	NO.2, CISF RTC, THAKKOLAM, VELLORE

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2018-19 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **15.05.2018** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. Shri B. Senguttuvan, माननीय संसद सदस्य Flat No. 93, North Avenue, New Delhi-110001:-
सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **CHENNAI** संभाग को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।